प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 81/2004

याचिकाकर्ता - रघुनंदन प्रसाद बंजारे

बनाम

उत्तरवादीगण - औद्योगिक न्यायालय, रायपुर एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

एन. के. व्यास, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

आदेश

(दिनांक 6 फरवरी, 2007 को पारित)

(1) *भारत के संविधान का अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका, याचिकाकर्ता को सेवा में पुनःस्थापित करने, बकाया वेतन तथा अन्य पारिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु रिट/निर्देश जारी करने की प्रार्थना करती है, जबकि दिनांक 22.10.2003 (अनुलग्नक पी./1) को औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा सिविल अपील क्रमांक 258/M.P.I.R./A-II/2001 में पारित आदेश, जिसमें दिनांक 20.12.1994 (अनुलग्नक आर-2/2) के निष्कासन आदेश को वैध, विधिसम्मत एवं उचित ठहराया गया है, को चुनौती नहीं दी गई है।*

(2) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 निगम में इलेक्ट्रीशियन-कम-वायरमैन के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता दिनांक 10.10.1994 से 20.12.1994

तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.10.1994 के आवेदन द्वारा नियोक्ता को सूचित किया कि वह मंधार स्थित अपने आवंटित शासकीय आवास को छोड़कर अपने पैतृक निवास जा रहा है तथा दिनांक 10.10.1994 से 20.12.1994 तक अवकाश का अनुरोध किया।

(3) याचिकाकर्ता ने अवकाश स्वीकृत होने की प्रतीक्षा किए बिना अपने पैतृक घर के लिए प्रस्थान कर दिया। इसके पश्चात, अनुलग्नक पी./3 के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.12.1994 तक अवकाश बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके बावजूद वह दिनांक 20.12.1994 तक अनुपस्थित रहा। इस बीच, उत्तरवादी निगम ने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मंधार इकाई के स्थायी आदेशों के खंड 10(ज) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.11.1994 को नोटिस (अनुलग्नक आर-2/1) जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। यह निर्विवाद है कि, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय दोनों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त नोटिस याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ था। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने न तो 15 दिनों के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित होने का कोई प्रयास किया और न ही नोटिस का पालन न कर पाने के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फलस्वरूप, उत्तरवादी निगम ने स्थायी आदेशों के खंड 10(ज) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.12.1994 के आदेश (अनुलग्नक आर-2/2) द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दीं तथा उसका नाम निगम की नामावली से विलोपित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) *उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31(3) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। श्रम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 18/MPIR/95 में दिनांक 18.09.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी./2) द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत यह पाया कि याचिकाकर्ता ने स्थायी आदेशों के खंड 10(ज) के अंतर्गत जारी नोटिस प्राप्त होने के बावजूद कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुआ। तथापि, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को*

देखते हुए श्रम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिरोपित दंड असंगत था। अतः श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सेवा में पुनर्स्थापित करने तथा पूर्ण बकाया वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया, साथ ही एक वेतनवृद्धि रोकने तथा 500/- रूपये का दंड अधिरोपित करने का आदेश पारित किया।

(5) उत्तरवादी क्रमांक 2 निगम द्वारा दायर अपील में औद्योगिक न्यायालय ने मामले के समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :-

> *"हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय ने एक ओर तो कर्मचारी को दुराचरण सिद्ध होना माना है तथा दूसरी ओर सम्पूर्ण पिछला वेतन दिलाते हुए पुनःस्थापना किये जाने का आदेश दिया है जो सर्वथा अवैधानिक है जिसकी पुष्टि अपील में नहीं की जा सकती क्योकि कर्मचारी को पूर्व में तीन बार इसी दुराचरण की और अधिक लम्बे समय के लिये पुनरावृत्ति की गई ऐसी दशा में प्रबंधन ने स्टैंडर्ड स्टैंडिंग आर्डर्स (10) एच के प्रावधानों के अन्तर्गत कर्मचारी के लिस्ट से उसका काटा जाना उचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने दंड के मामले में प्रबंधन के आदेश को पुनः स्थापना कर स्वयं का आदेश देना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता ।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) *याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. डी. गुरु ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह 15 दिनों के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित हो सके। उत्तरवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता का नाम कंपनी के अभिलेख (रोल) से हटाने की कार्यवाही असंगत थी, अतः श्रम न्यायालय का आदेश अवैध एवं अमान्य है। विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय* ***अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड बनाम शम्मी भान एवं अन्य, (1998) 6 एससीसी 538*** *का अवलंब लिया।*

(7) इसके विपरीत, उत्तरवादी-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन. के. व्यास ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने तथा उसका नाम निगम के अभिलेख (रोल) से विलोपित करने का आदेश स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः वैध है। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर,

नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर न तो सेवाएँ ग्रहण करने का प्रयास किया और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्थायी आदेशों का खंड 10(ज) सुसंगत है, जो इस प्रकार है :–

"10. त्यौहार, अवकाश एवं छुट्टियाँ

(ज) यदि कोई श्रमिक/कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति/अनुमति/सूचना के लगातार 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो प्रबंधन उसे एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे पखवाड़े के भीतर अपने कार्य/कर्तव्य पर लौटने तथा अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से निगम की सेवा त्याग दी है तथा उसका नाम निगम की नामावली (रोल) से विलोपित कर दिया जाएगा।

यदि ऐसा श्रमिक/कर्मचारी नोटिस जारी होने के पखवाड़े के भीतर कार्य/ कर्तव्य पर वापस आ जाता है, परंतु प्रबंधन उसकी अनुपस्थिति से संतुष्ट नहीं होता, तो उस पर स्थायी आदेशों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यदि कोई श्रमिक उपर्युक्त आधार पर सेवा से वंचित होता है, तो प्रबंधन उसके नाम को 'बदली सूची' में रखने पर विचार करेगा।"

अतः श्रम न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं उचित है।

(8) *पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा* **अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड (पूर्वोक्त)** *के निर्णय का लिया गया अवलंब वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रकरण में स्थायी आदेश के खंड 17(ग) में 'स्वतः सेवा समाप्ति' का प्रावधान नहीं था, बल्कि सेवा समाप्ति की संभावना थी। जबकि वर्तमान प्रकरण में स्थायी आदेश के खंड 10(ज) का प्रावधान अत्यंत स्पष्ट है और इसमें प्रबंधन के लिए किसी प्रकार के विवेकाधिकार के प्रयोग की संभावना नहीं है।*

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः **अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड (पूर्वोक्त)** *के प्रकरण के तथ्य एवं विधि वर्तमान मामले से भिन्न हैं और यहाँ लागू नहीं होते।*

(9) यह तथ्य निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता दिनांक 10.10.1994 से 20.12.1994 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा तथा उसने उत्तरवादी-निगम द्वारा जारी नोटिस का पालन नहीं किया। ऐसी स्थिति में, औद्योगिक न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों एवं पारित आदेश पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती और इस प्रकार दिनांक 22.10.2003 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**